	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आश्विन 26, शुक्रवार, *शाके* 1941–अक्टूबर 18, 2019 *Asvina 26, Friday, Saka 1941–October 18, 2019*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 18, 2019

संख्या एफ.10(क)/(चुनाव)गठन/श्रेणी/डी.एल.बी./19/10476 :–राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 3, धारा 5, धारा 6 एवं धारा 10 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग के आदेश क्रमांकः F-10(Elec)LSG/19/2446 दिनांक 14.08.2019 को विखण्डित करती है तथा नगर निगम, जयपुर को दो भागों में विभाजित करते हुए दो नये नगर निगम क्रमशः नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं नगर निगम, ग्रेटर जयपुर का गठन करती है। नवगठित नगर निगमों की सीमाओं एवं सम्मिलत होने वाले क्षेत्र का विवरण निम्नांकित तालिका में नगर निगमों के नाम के सम्मुख कॉलम संख्या–3 एवं कॉलम संख्या–4 में वर्णित किया गया है, अर्थातः–

तालिका

क्र. सं.	नवगठित नगर निगम का नाम	नवगठित नगर निगम की सीमा एवं क्षेत्र का विवरण		
		पूर्णतः अथवा अंशतः सम्मिलत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम		वार्ड संख्या (जयपुर नगर निगम के लिए वर्ष 2014 में अधिसूचित किये गये सीमांकन के अनुसार)
1	2	3		4
1.	नगर निगम, जयपुर हैरिटेज	1	सिविल लाईन्स	22 से 31
		2	आदर्श नगर	61 से 70
		3	किशन पोल	71 से 79
		4	हवामहल	80 से 90
		5	आमेर	91
2.	नगर निगम, ग्रेटर जयपुर	1	विधाधर नगर	1 से 14
		2	झोटवाडा	15 से 21
		3	सांगानेर	32 से 44
		4	बगरू	45 से 51
		5	मालवीय नगर	52 से 60

राज्यपाल की आज्ञा से,
डॉ. प्रवीण कुमार,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

2941

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।